


मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग,  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 31/3/2021

क्रमांक एफ. 2-8/2021/सात/शा.-7 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) की शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, अप्रैल माह के प्रथम दिन को कृषि वर्ष के प्रारम्भ का प्रथम दिन नियत करती है और अधिसूचित करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

  
(मुजीबुर्हमान खान) 31/3/2021  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल दिनांक 31/3/2021

क्रमांक एफ. 2-8/2021/सात/शा.-7- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 2-8/2021/सात/शा.-7 दिनांक-31/3/2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

  
उप सचिव 31/3/2021

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग


GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH,  
REVENUE DEPARTMENT  
MANTRALAYA, BHOPAL

NOTIFICATION

Bhopal, dated 31/3/2021

No. F. 02-08/2021/VII/Sec.-7- In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of section 2 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, notifies and appoints first day of April month as the commencing day of agricultural year.


By order and in the name of the  
Governor of Madhya Pradesh

  
(Mujeebur Rehman Khan)  
Deputy Secretary 31/3/2021  
Government of Madhya Pradesh  
Revenue Department

पृष्ठांकन क्रमांक एफ. 2-8/2021/सात/शा.-7 /247  
प्रतलिपि:-

भोपाल दिनांक 31/3/2021

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल,
2. निज सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण/मान. राज्य मंत्रीगण मध्यप्रदेश,
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, वल्लभ भवन, भोपाल,
4. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश,
5. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
6. शासन के समस्त विभाग,
7. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश,
8. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
9. प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश,
10. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य भूमि सुधार आयोग, भोपाल,
11. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
12. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश,
13. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश,
14. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया सूचना को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित कर, प्रकाशन की 500 प्रतियां इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।
15. संचालक, सूचना एवं प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

  
उप सचिव 31/3/2021  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

**राजस्व विभाग**

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2021

क्र. एफ 2-8-2021-सात-शा.-7.- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) की शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, अप्रैल माह के प्रथम दिन को कृषि वर्ष के प्रारम्भ का प्रथम दिन नियत करती है और अधिसूचित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

**मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.**

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2021

क्र. एफ 2-8-2021-सात-शा.-7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 2-8-2021-सात-शा.-7 दिनांक 31 मार्च 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

**मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.**Bhopal, the 31<sup>st</sup> March 2021

No. F. 02-08-2021-VII-Sec.7.-In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of Section 2 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, notfies and appoints first day of April month as the commencing day of agricultural year.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

**MUJEEBUR REHMAN KHAN, Dy. Secy.**